दिव्यांगता की परिभाषा एवं स्वरूप (श्रवण बाधिता के विशेष सन्दर्भ में)

शिशिर चन्द्र राय,

परास्नातक–समाजकार्य विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ

शोध सारांश

श्रवण बाधिर विद्यार्थियों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार की मनो–सामाजिक समस्याओं सामना करना पड़ता है। श्रवण दोष से ग्रसित विद्यार्थी ज्यादातर सांकेतिक भाशा पर आधारित रहते है जो अपने बधिर समुदाय में रहकर सीखते है तथा बधिर समाज के बीच रहना भी पसन्द करते हैं। इन विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में अन्य सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा इनकी मनोसामाजिक समस्याएं भिन्न होती है। विश्व–विश्वविद्यालय में अन्य सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा इनकी मनोसामाजिक समस्याएं भिन्न होती है। विश्व–विद्यालय में श्रवण बधिरों की मनोसामाजिक समस्या का अध्ययन महत्वपूर्ण कारक होता है जिससे सभी श्रवण बाधिरों की मनोस्थिति में परिवर्तन हो तथा अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जा सकें। श्रवण बाधिरों की मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर उन समस्याओं का अध्ययन निकाला जा सकता है तथा श्रवण बाधिरों की मनोदशा में परिवर्तन लाकर उनके जीवन को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

KeyWords: *दिव्यांगता, परिभाषा, स्वरूप, अक्षमता, मानसिक, श्रवण बाधिता।*

दिव्यांगता व्यक्ति की उस दशा को कहते हैं, जो क्षति या अक्षमता के कारण से उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति शरिरिक एवं मानसिक क्रियाओं सम्बन्धी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम निभा पाता है। इस प्रकार दिव्यांगता व्यक्ति के भौतिक शारिरिक, मानसिक स्थितियों और उससे सम्बन्धित क्रियाकलापों से उत्पन्न एक प्रकार की सामाजिक स्वरूप की अवस्था है।

दूसरे शब्दों में दिव्यांगता वह हानि है, जो किसी क्षति के उपरान्त व्यक्ति की आयु, लिंग एवं सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुॅचाती है, जैसे– यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटना के कारण पैर जल जाता है, तो उसकी कोशिका और ऊतक के जलने से क्षति हो जाती है। पैर जलने के कारण वह अपना चलनें सम्बन्धी कार्य नही कर पाता है, और यह अक्षमता की स्थिति हो जाती है। यदि जले हुए भाग का सही प्रकार से देखभाल एवं उपचार नही किया जाता है तो उसमें संक्रमण हो जाता है और व्यक्ति में दिव्यांगता की स्थिति आ जाती है। इससे व्यक्ति की स्थिति एवं सामाजिक क्रियाएं बाधित हो जाती है।

"अक्षमता के कारण यदि व्यक्ति का कार्य या शिक्षा प्रभावित होती है, तो दिव्यांगता दिव्यांगता कहलाती है।"

असमसर्थता के कारण अपनी आयु, लिंग व सामाजिक भागीदारी के सापेक्ष एक या एक से अधिक क्रियाओं को न कर पान में कठिनाई को

दिव्यांगता कहते हैं। दिव्यांगता व्यक्ति की भौतिक, शारिरिक और मानसिक स्थितियों के साथ–साथ उससे सम्बन्धित क्रिया–कलापों से उत्पन्न एक प्रकार का सामाजिक स्वरूपता है। जिसका आकंलन व्यक्ति के मनों–सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो स्थान, समय, परिस्थिति तथा सामाजिक भूमिका से भी सम्बन्धित हो सकती है।

अर्थात् दिव्यांगता वह दशा है, जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं सम्बन्धी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। अतः दिव्यांगता का सामाजिक स्वरूप वातावरण को परिलक्षित करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) 1976 के अनुसार–

"दिव्यांगता व्यक्ति की क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधा जनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। ऐसे में व्यक्ति के आस–पास अनुकूलित अन्तःक्रिया जाने में कठिनाई होती है।"

इन्टरनेशनल क्लासीफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेन्ट, डिसेबिलिटीज, एण्ड हैन्डी कैप्ट (ICIDH) 1979 के अनुसार

व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कारको मे क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसार या पिछड़ापन हो जाता है, उसे दिव्यांगता कहते है।

निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत विकलांगता को 7 प्रकार में विभाजित किया गया है। जो इस प्रकार है–

1.पूर्ण दृष्टि बाधित

2.अल्प दृष्टि बाधित

3.कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति

4.श्रवण बाधित

5.गामक अक्षमता

6.मानसिक मंदता

7.मानसिक रूग्णता

विकलांग जन अधिनियम (1995) के बाद राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (एन0टी0 एक्ट,) 1999 बना, जिसमें चार प्रकार की विकालांगताओं में बॉटा गया है।

1 स्वलीनता

2 प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

3 मनसिक मंदता

4 बहुविकलांगता

निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम (आर0पी0डब्बलू0डी0) 2016 राष्ट्रीय द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2016 को स्वीकृति प्राप्त की गयी। इसके अधिनियम के आधार पर दिव्यांगता को 21 प्रकार में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है–

1. दृष्टि बाधित
2. अल्प दृष्टि बाधित
3. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
4. श्रवण बाधित
5. चलन निःशक्तता
6. बौनापन
7. बौद्धिक अक्षमता
8. मानसिक रोगी
9. स्वलीनता
10. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
11. मांसपेशी दुर्विकार
12. चिरकालिक स्नायु अवस्था
13. विशेष अधिगम अक्षमता

14. मल्टीपल स्कलेरोसिस
15. वाणी एवं भाषा निःशक्तता
16. थैलेसीमिया
17. अति रक्तस्त्राव
18. सिकल सेल रोग
19. बहु विकलांगता के साथ बधिरान्धता
20. तेजाब हमला पीड़ित
21. पार्किसन्स रोग

श्रवण बाधिता का इतिहास

श्रवण बाधिता एक छुपी हुई विकलांगता है, जिन पर तत्काल ध्यान नही होता है लेकिन सम्भवतः ऐसे बालकों में बातचीत करके सीखने में मुश्किल होता है। क्योंकि मौखिक सम्प्रेषण नही हो पाता है। यह केवल भाषा के माध्यम से होता है। अपने सहपाठियों के साथ स्वतंत्र रूप से सम्प्रेषण नही कर पाते है।

अधिकांश स्थितियों मे श्रवण बाधित बातचीत तथा वाणी के श्रवण और अपबोध की अक्षमता है। यह भाषा और वाणी को शैशवाकाल के शुरू मे ही सामान्य स्वभाविक प्रक्रिया को प्राप्त करने से रोकता है। श्रवण बाधित व्यक्ति का तब तक पता नही चलता है, जब तक यह अन्य व्यकितयों के साथ सम्प्रेषण नहीं करता है। दूसरे शब्दों मे डॉ0 डेनियल लिंग के अनुसार "श्रवण बाधिता को सामान्यतः श्रवण इन्द्रियों सम्बन्धी फिल्टर कहा है, जो या तो अन्तः या पूर्ण रूप से ध्वनियों को समझने से रोकता है।"

स्थायी रूप से श्रवण बाधिता सामान्यतः वाह्य शारीरिक विकार से सम्बन्धित नहीं है, न ही उसे देखा जा सकता है। श्रवण बाधित व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखायी पड़ता है, और साधारण लोग यह नही समझ सकते है यह क्षति ग्रस्तता उसके लिए कितनी मात्रा में कठिनाई पैदा करती है।

वैश्विक परिदृश्य

यूरोपीय सभ्यता– यूरोपीय सभ्यता की शुरू की अवधि में समाज में श्रवण बाधित व्यक्तियों के स्तर का कोई रिकार्ड या भूमिका का उल्लेख नहीं है। उनकी स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी। जैसा कि "हैब्रू लॉ एण्ड हेन्स कमान्डेन्टस" ने उल्लेख किया कि श्रवण बाधित के समान कोई अभिशाप नही है या अन्धे व्यक्ति के आगे कोई अवरोध प्रस्तुत न करना।

उन दिनों श्रवण बाधितों को मानसिक मंदित के साथ जोड़ा जाता था।

पूर्व क्रिस्टीफन युग के अरिस्टाल ने देखा कि जन्मजात श्रवण बाधित ओर मूक बाधिरता के बीच कोई सम्बन्ध है। ग्रीक दार्शनिक ने भी स्पष्ट किया था कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर के साथ मस्तिष्क का सृजन करती है।

सुकरात (470 से 399 ई0पू0) ने महसूस किया कि मूक व्यक्ति के सम्प्रेषण करने का माध्यम भावभंगिमा द्वारा या मूक अभिन्य द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है। यह विचार है कि श्रवण बाधित व्यक्तियों की शैक्षणिक संभावनाएं अच्छी नहीं होती, यह मध्य युग का विचार था।

रोम ने भी श्रवण बाधित व्यक्तियों को समाज मे कोई स्तर या मान्यता नहीं दी। जस्टिन के राज्य में (525 से 565 ई0पू0) जस्टिन संहिता मूक बधिरों को नागरिकता के अधिकारों और बाध्यताओं से वंचित करती थी। मूक बधिर और वे व्यक्ति जो जीवन के बाद में बहरापन से ग्रसित होते थे। और बोल तथा लिख सकते थे उनके बीच बहुत भारी अन्तर किया जाता था। 16वीं सदी से पूर्व श्रवण बाधित व्यक्तियों को कौशलों मे प्रशिक्षित करने के लिये किये गये प्रयासों पर बहुत कम सूचना प्राप्त होती थी।

16वीं सदी पुनर्जागरण अवधि के बाद शिाक्षा की भूमिका में परिवर्तन आया। और पश्चिमी देशों मे बधिरों की नियमित शिक्षण–प्रशिक्षण के जरिये विशेष शिक्षा की शुरूआत हुई। अनुदेशन के द्वारा विद्यार्थियो में चरित्र और ज्ञान का विकास करते थे। आधुनिक समय के श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिये शिक्षा के पथ प्रदर्शक स्पेन के महात्मा पेड्रो पोन्स डी0 लियोन (1555 ई0) में श्रवण बाधित बच्चों के लिए मौखिक अभिजात्य शुरू किया। उनका विश्वास था कि श्रवण बाधित व्यक्तियों को लिखना पढ़ना और बोलना सिखया जा सकता है। उन्होने अपना कार्य एक छोटी सी मोनास्ट्री में शुरू किया उन्होंने अनुभवों का विस्तृत रिकार्ड रखा किन्तु दुर्भाग्य वश उनके रिकार्ड मोनास्ट्री की आग मे नष्ट हो गये।

सन 1620 ई0 मे स्पेनी जुआन पैबलो बोनेट ने बधिरों की शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी तथा उन्होंने एक हस्तीय मैनुअल अल्फावेट का विकास किया। उन्होंने श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने के साथ–साथ भाषा भी सिखाया। जिसके साथ हस्तचलित वर्णमाला प्रणाली उपलब्ध करायी गयी, साथ ही साथ भाषा संकेत भी उपलब्ध कराये गये।

सन 1644 ई0 मे इंग्लैण्ड निवासी जॉन बुल्वर (1614–1684) ने बधिरों की शिक्षा के लिए दूसरी पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने लिखा कि गूंगापन, बहरेपन का आवश्यक प्रभाव नही है। इन्होंने श्रवण बाधित व्यक्तियों की शिक्षा की विशेष पद्धतियों को सुलझाया और अपनी पद्धतियों को गुप्त रखा।

जानकोनार्ड आमून (1660–1724) एक स्विटजरलैण्ड के व्यक्ति थे जो हॉलैण्ड मे रहते थे। उन्होंने ओष्ठ पठन की पद्धतियों को विकसित किया तथा अन्य पद्धतियां भी विकसित किया। और अपनी पुस्तक में प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थें। जिन्होनें समझा कि वाणी पठन श्रवण बाधित व्यक्ति की भाषा और वाणी के शिक्षण का आन्तरिक भाग है।

सन् 1680 ई0 में जार्ज डालगार्नो ने मूक व बधिर लोगों के अध्यापक (Deaf and Dumb Man's Tutor) नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें शिक्षा हेतु अनुदेशनात्मक विधियों के विकास पर प्रकाश डाला गया है।

थॉमस ब्रेड वुड स्कॉटलैण्ड (1767) के द्वारा श्रवण बाधितों की शिक्षा के लिये प्रथम शिक्षण संस्था ब्रिटेन में स्थापित की गयी। ब्रेड वुड की विधियों में अक्षर एवं चिन्हों को समझाने के लिये मौखिक तथा शारीरिक रूप से किये जाने वाले कार्य की विधियों का मिश्रण था। इसमें शारीरिक भाषा का अधिक प्रयोग किया गया। इसकी मृत्यु के पश्चात उनके भतीजे जोसेफ वासन (1765–1827) ने ब्रेडवुड के कार्य को पुस्तक बहरे और गूंगे व्यक्तियों के परिचय मे प्रकाशित किया।

उसी समय सेम्युअल हैन्कर (जर्मनी) ने मौखिक विधियों का विकास किया। जिसमें बालकों द्वारा ओष्ठ पठन (Lip Reading) तथा बोलने की विशिष्ट निपुणता का प्रशिक्षण दिया गया। इस शिक्षा में किसी बोलते हुए व्यक्ति को होठों तथा चेहरे को ध्यान पूर्वक देखा जाता है, तथा बालक को उस व्यक्ति द्वारा बोले जा रहे शब्दों को समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

एविचार्ल्स मिखाईल एल0एस0 (1712–1779) फ्रांस से तथा सैमुअल हैन्कर जर्मनी से थे। ए0वी0डी0एल0एफ0 को यह सम्मान जाता है कि उनहोंने श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा को सार्वजनिक चिन्ता का विषय बनाया। उन्होंने पेरिस में 1775 में श्रवण बाधितों के लिए पहला पब्लिक स्कूल स्थापित किया। वे हस्तचलित पद्धतियों से पढ़ाते थें। उन्होने स्पष्टीकरण सहित पहली संकेत शब्द कोष का प्रकाशन किया। उनकी शिक्षण पद्धतियों को फ्रेन्स (French) पद्धति कहा जाता है।

डी0एल0एम0 और उनके उत्तराधिकारी सिकर्ड हस्त कौशल से पढ़ाते थे किन्तु उनका भी विश्वास था कि बोली जाने वाली भाषा सम्प्रेषण की सम्पूर्ण पद्धति है। इन दोनों लोगों का मानना था कि मौखिक शिक्षा बहुत से कारणों से अच्छी है। इन्होनें कुछ इच्छुक शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, उनमें से सिकर्ड एक थे।

सन 1778 में सैमुअल हैन्कर ने श्रवण बाधितों के लिए पहला स्कूल लिपजिंग (जर्मनी) में स्थापित किया। और उसे सरकार द्वारा मान्यता दी गयी। तथा श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा देना शुरू किया गया। इस शिक्षा का विकास एफ0एम0हिल (1874) ने किया ।

स्न 1755 ई0 में माइकल डेल (1712–1789) ने सर्वप्रथम पेरिस में बधिरों की शिक्षा के केन्द्र का शुभारम्भ किया गया। इसके साथ–साथ एम्ब्रोइज सिआर्ड (1742–1882) सांकेतिक भाषा का विकास कर रहे थे। फ्रांस की व्यवस्था में भी इन्द्रिय ज्ञान अर्थात किसी वस्तु को छूकर और देखकर जानकारी लेने का प्रशिक्षण का भी विकास हुआ। जो मान्टेसरी प्रशिक्षण आयाम में प्रचलित हो गयी।

गैलेन्डट (1787–1851) ने फ्रांस की उंगली विधि द्वारा श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा प्रारम्भ किया। सन 1847 में गैलेन्डट ने बधिरों की शिक्षा के लिये सर्वप्रथम संस्था की स्थापना की, जिसे अमेरिकन स्कूल के नाम से जानते है। आगामी वर्ष में बधिरों के लिए न्यूयार्क में विद्यालय का प्रारम्भ किया गया। सन 1863 ई0 तक अमेरिका में 22 स्कूल स्थापित हो चुके थे। अट्ठारहवीं शताब्दी में वाणी तथा भाषा सम्बन्धी विकास सर्वप्रथम पेरिस मे अम्बेचार्ल्स माइकल ने (1712–1789) सैमुअल हैन्कर ने हस्त चालित संकेतो की एक पद्धति विकसित की। जिसका प्रयोग मूक बधिर व्यक्तियों शिक्षण में सफलता पूर्वक किया गया। इन्हें सांकेतिक पद्धति का पिता या जनक कहा जाता है।

सन् 1821 ई0 में जॉन वाप्टिस्ट ग्रिजर ने नियमित प्राइमरी स्कूल में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षण की इकाई शुरू की। मासाचुसेट्टस में प्रथम मौखिक स्कूल की स्थापना 1867 ई0 में बधिरों के लिए की गयी। वोस्टन में बधिरों के लिए शिक्षण कार्य (1884 ई0) में प्रारम्भ हुआ। सन् 1874 ई0 में युवकों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ।

ग्राहम बेल (1847–1922) ने श्रवण बाधितों की शिक्षा के लिये अधिक कार्य किया। हेलन केलर (1847–1957) ने विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में ज्वलन्त उदाहरण है, जो स्वयं बधिरांध थी। उन्होंने विशिष्ट शिक्षा के द्वारा शारीरिक दोषों पर विजय प्राप्त की थी। सन् 1880 ई0 मे मौखिकता पर महाधिकार पत्र मिलन सम्मेलन में निकाला गया। जिसकी अध्यक्षता एबएट ने की। सम्मेलन में मौखिकता या दार्शनिकता या श्रवण बाधित व्यक्तियों की मौखिक पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के विषय में थी। यू0एस0ए0 ने नौ शिक्षकों जिनमें मिनट ग्लाईट उनके नेता थे। उन्होंने मिलन सम्मेलन में भाग लिया।

बधिरों की शिक्षण सेवा के क्षेत्र में समुचित विकास नहीं हो पाया जिसका मुख्य कारण मौखिक एवं लिखित विधियों का अनुदेशन सामन्जस्य का ना होना था। लेकिन आगामी कुछ वर्षो में इस प्रकार का सामन्जस्य स्थापित हो गया था। सन् 1880 ई0 में मिलन इटली में बधिरों की शिक्षा के लिये अर्न्तराष्ट्रीय कांग्रेस की गोष्ठी हुई। इसमें निम्नलिखित संस्तुतियां की।

1. लिखित विधि की अपेक्षा मौखिक विधि को प्राथमिकता दी जाये।
2. ओष्ठ पठन लिप रिडिंग या सांकेतिक भाषा अथवा शारीरिक भाषा अपेक्षा मौखिक विधि को प्राथमिकता दी जाये।

सन् 1885 ई0 में श्रवण बाधित बालकों के शिक्षकों के लिये एक कालेज की स्थापना ब्रिटेन में हुई।

सन 1893 ई0 में शिक्षा अधिनियम (ब्लाइन्ड एण्ड डेफ) मौलिक शिक्षक प्रमाण पत्र को श्रवण बाधितों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक शिक्षकों की संख्या में मिला दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका

यूरोप और मिलन सम्मेलन सन 1880 ई0 में सामाजिक दृष्टिकोण के नैतिक और बौद्धिक प्रगति का यू0एस0ए0 श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा।

श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा के लिये विभिन्न प्रयास किये गये और विशेष स्कूलों को शुरू करने का प्रयास भी किया गया। यू0एस0ए0 में श्रवण बाधितों के लिये पहला स्थाई स्कूल हरफोर्ड कनेक्टिकट एसिलम था। इसकों मेरून काग्स्वेल द्वारा स्थापित किया गया, जिनकी पुत्री श्रवण बाधित थी। स्कूल में 100 से अधिक विद्यार्थी थे। एक शिक्षक थामस हॉपकिन्स ग्लाडेट ने श्रवण बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने में बहुत रूचि दिखाई। काग्स्वेल ने तब थामस एच0 ग्लाडेट को शिक्षण पद्धतियां सीखने के लिए यूरोप भेजा कुछ समय इग्लैण्ड में रहकर ग्लाडेट पेरिस चले गये और सिकर्ड से शिक्षा प्राप्त की।

तीन माह प्रशिक्षण के बाद ग्लाडेट अमेरिका सिकर्ड के साथ वापस आये। हर्टफोर्ट के स्कूल को अब श्रवण बाधित के लिये अमेरिकन स्कूल के नाम से जाना जाता है। थॉमस एच0 ग्लाडेट के अच्छे कार्यो को मान्यता प्राप्त हुई और संघीय रूप से वांशिग्टन डी0सी0 का पहला कॉलेज जो श्रवण बाधितों के लिये था, तथा प्रायोजित किया गया और उनके नाम पर अब इसे ग्लाडेट विश्वविद्यालय कहते है। उनके कार्य को उनके पुत्र एडवर्ड मिनर ग्लाडेट ने आगे बढ़ाया और सन् 1984 ई0 में ग्लाडेट विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। यह विश्वविद्यालय श्रवण बाधित बच्चों के वातावरण के अनुकूल है, तथा 150 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय है। राष्ट्रपति अब्राहन लिंकल ने अधिनियम पर हस्ताक्षर किये, जो लिबरल आर्टस एवं साइंस में डिग्री प्रदान करने और पुष्टि करने के लिए थी। कॉलेज के लिये भूमि एमस केन्डले द्वारा दी गयी। सन् 1886 से महिला विद्यार्थी उसमें प्रवेश लेते थे। यह सन् 1967 ई0 तक विश्व का श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए ही कालेज था।

20 वीं शताब्दी मे मध्य से अधिक वर्षो में यूरोप मौखिक विधियों का शिक्षण क्षेत्र में अधिपत्य रहा। तथा यह अपरिवर्तनीय रही। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् मौखिक शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में बढ़ते हुए विश्वास तथा हस्तक्षेप ने अधिकांश बधिर बालकों को सामान्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण हेतु नया आयाम दिया। और उन्हें प्रेरित भी किया। शिक्षा की मुख्य धारा के आन्दोलन ने अधिकाधिक शक्ति को अमेरिका तथा यूरोप की अपेक्षा ब्रिटेन ने संजोया।

भारतीय परिदृश्य

दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करना प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का एक अंग रहा है। भारतीय समाज में शिक्षा को हमेशा उच्च स्थान दिया गया, लेकिन जागरूकता और श्रवण बाधिता की शिक्षा और प्रशिक्षण पर बल दिया गया।

चौथी शताब्दी के पूर्व में मौर्य काल के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि राजा कौटिल्य ने दिव्यांगों हेतु अपमानजनक शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तथा इनकी रक्षा के लिए विशेष कानून भी बनाये थे। उन्होंने कई विकलांगों को विशेषकर मूक बधिरों को अपने विशेष गुप्तचर के रूप में रखा था।

प्राचीन हिन्दू, संस्कृत एवं बौद्ध ग्रन्थों में भी जड़ बुद्धिता को अन्य दोशों के समान ही पूर्व जन्मों के पापों का फल कहा गया है। 17वीं शताब्दी में मराठों और पेशवाओं ने गुप्तचरों एवं

जासूसी कार्यवाही हेतु अपने कर्मचारी में मूक एवं बधिर लोगों की नियुक्ति की थी। सन् 1885–86 ई0 में क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा 'बाम्बे इंस्टीट्यूट फ़ॉर डेफ़ क्यूट' के नाम से पहला औपचारिक विद्यालय मुम्बई में खोला गया।

डॉ0 लियो मारिन एस0जे0 ने श्रवण बाधितों के लिए फ़ोर्ट मुम्बई में 5 विद्यार्थियों को लेकर छोटा सा स्कूल शुरू किया। श्री टी0ए0 वाल्स एक आइरिस व्यक्ति जो बेल्जियम में प्रशिक्षित हुए। उन्हें डॉ0 लियों मारिन अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए भारत लाये।

सन् 1908 ई0 में भारत में अहमदाबाद में श्रवण बाधित बालकों के लिए विद्यालय की स्थापना की गयी। सन् 1913 ई0 में दृष्टि अक्षम एवं मूक बधिर विद्यालयों की स्थापना भारत के अन्य अगहों पर की गयी, जिसमें दोनों प्रकार बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। सन् 1939 ई0 में हैदराबाद में राजकीय मूक बधिर विद्यालय एवं अन्ध विद्यालय की स्थापना की गयी। सन् 1939 ई0 में दूसरा ''कलकत्ता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज फ़ॉर डेफ़ (पश्चिम बंगाल) में स्थापति किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्प्रेषण करना था। सन् 1941 ई0 में मुम्बई में चिल्ड्रेन्स एण्ड सोसाइटी' का प्रारम्भ बधिर, दृष्टि अक्षम एवं मंद बुद्धि के लिए किया गया। यह बाल अधिनियम का प्रत्यक्ष परिणाम था। सन् 1946 ई0 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक सम्पूर्ण भारत में लगभग 45 मूक बधिर विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी।

सन् 1983 ई0 में अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी एवं श्रवण संस्थान की स्थापना मुम्बई में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य श्रवण व्यक्तियों को नैदानिक चिकित्सा, शैक्षिक एवं व्यवसायिक सेवाएं प्रदान करना है। स्वतंत्रता पूर्व और बाद को समय में परम्परागत रूप से दिव्यांग बच्चों को विशेष स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता था। किन्तु देश में विशेष स्कूलों का विकास धीमा हो रहा था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत पर राज कर रही थी। शिक्षा के विषय में ध्यान नहीं दे रही थी। केवल गैर सरकारी संस्थान निष्ठा एवं अनुकम्पा की भावना से प्रेरित होकर दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना कर रहे थे। स्वतंत्रता के समय से (1974) भारतीय सरकार ने सामान्य रूप से शिक्षा पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है। भारतीय संविधान को 1950 में अपनाया गया।

अनुच्छो 45 के अनुसार राज्य विशेष ध्यान देते हुए शैक्षिक और आर्थिक हित के सभी कमज़ोर वर्गों को बढ़ाया देना और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। अधिकांश राज्यों और राज्य सरकार एवं नगरपालिका ने श्रवण बाधितों के लिए विशेष स्कूल खोले हैं। इनमें से अधिकांश स्कूल प्रमुख शहरों और नगरों में हैं। शैक्षणिक आवश्यकताओं की तुलना में ये काफ़ी कम हैं। सन् 2000 तक श्रवण बाधित व्यक्तियें के लिए लगभग 530 विशेष स्कूल थे।

स्पष्ट है कि श्रवण बाधिता के कारण वाक् कौशल एवं भाषा ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है। जिसके कारण सम्प्रेषण एवं समबन्ध बनाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।श्रवण बाधिता को अक्सर/प्रायः अदृश्य विकलांगता कहा जाता है। इसकी वजह से मनोसामाजिक, शारीरिक एवं सामाजिक समायोजन में बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए समय रहते इस समस्या का इलाज करा लेना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, ए0के0 (2015) मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।

2. सिंह, रजनी रंजन (2012) शिक्षा में अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकी उत्तरायण प्रकाशन हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)।
3. गुप्ता, एस0पी0 (2015) आधुनिक मान एवं मुल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन युनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद।
4. पाल सीतारा एवं भोला वी0 (2013) संगम श्रवण एवं वाणी प्रबन्धन, नवीन प्रकाशन, अहमदाबाद।
5. जोसेफ, आर0ए0 (2011) विशेश शिक्षा एवं पुनर्वास, समाकलन पब्लिशर्स, करौंदी, बी0एच0यू0, वाराणसी।
6. जोसेफ आर0ए0 (2013) पुनर्वास के आयाम, समाकलन पब्लिशर्स, करौंदी, बी0एच0यू0, वाराणसी।
7. कुमर, संजीव (2008) विशिश्ट शिक्षा, नई दिल्ली।
8. Hatamizadeh N. Ghasemi M. Saudi A. (2008) Perceived Copetence and School Adjustment of Hearing Impaired Childred in Mainstream Primary School Setting. Department of Rehabilitation Management University of Scoail Welfare and Rehabilitation Seuiness, Tehran Vol. 34(6), pp.94-789
9. Aplin D. Yvonne (2006) Social and Emotional Adjustment of Hearing Imapired in ordinary and Speical Schools. Vol. 29, pp.56-64.
10. Arnold Paul & Atakins Jean (2006) The Social and Emotional Adjutement of Hearing Impaired Children Integrated in Primary Scoools, Vol. 33, pp.223-228.
11. Erik Adnderson G., Rydell M. & Larser H.C. (2009) Social Competence and Rehavioural Problem in Children with Hearing Impairment, Vol. 39
12. Shivangi (2006) School Effects on Psychological Outcome during Adolescence Unviersity, Journal of Education Psychology, Vol. 94(4), pp. 120-123
13. Chopra R. And Kalita R. (2006) Adjustment Problems of Elementary School children of Single Parental and Intact Parent Families. Indian Education Abstracts, Vol. pp.36-40.
14. sharma Sumit (2003) A Study of Emotional Social and Educational Adjustment of High School Students in Relation to their Sex Types of School, M.jjPhil Dissertation Shimla, Himachal Pradesh Unviersity.
15. Gordia Alok and Shandilya Shweta (2010) An Empirical Enquiry towards relationship of Adjsutement Sense of responsibility and scientific Attitude among Adolescents. Gyan the Journal of Education July-December 2010 Vol. 7 No.1, pp.36-40.
16. Heword William L. & Orlenceki Mycle D. (1981) Expectation Children.
17. Ritika (2004) A comparative study of school Adjustment Problems of High School students in Relation residential Background and socio-economic status. M.Ed. published dissertation in education Himachal Pradesh University, Shimla.